



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57590

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -
2393/2026

श्रीमती मिथलेश

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी

आवेदक के अधिवक्ता: सुधीर कुमार

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।
- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 547/2025, धारा 108 बी.एन.एस., 2023, थाना- मेडिकल कॉलेज, जनपद मेरठ में विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत चाहते हैं: -
 - आवेदक मृतक की पत्नी है और उस पर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है।
 - प्रथम सूचना रिपोर्ट में आठ लोगों को नामित किया गया है, जो छह दिनों की देरी से दर्ज की गई है।
 - पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंगित करती है कि मृतक की मृत्यु पूर्व-मरण फाँसी के परिणामस्वरूप श्वासावरोध के कारण हुई थी, और उक्त घटना में आवेदक की कोई भूमिका नहीं थी।
 - आवेदक पिछले चार वर्षों से मृतक से अलग रह रही है।
 - इस विवाह से चार बच्चे पैदा हुए थे, और एक बेटी, जिसका नाम प्राची है, का विवाह 10.12.2025 को हुआ था। घटना उसके कुछ समय बाद हुई। सुसाइड नोट आवेदक की ओर से उकसाने वाला कोई कार्य प्रकट नहीं करते हैं।
- विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया कि मृतक की पत्नी होने के नाते आवेदक वर्तमान मामले में मुख्य अभियुक्त है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विवेचना के दौरान एकत्र किए गए दो सुसाइड नोटों में मृतक ने आवेदक का नाम लिया है। तथ्य यह है कि आवेदक मृतक से अलग रह रही थी, आवेदक की

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सहायता नहीं करेगा क्योंकि आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में मृत्यु के समय भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक के किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त को इंगित करने में सक्षम नहीं रहे हैं।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।
6. आवेदक हालांकि सात अन्य लोगों के साथ एफ.आई.आर. में नामित है, लेकिन उसे कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। आवेदक और मृतक अलग-अलग रह रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक और मृतक के बीच विवाद था। केस डायरी के पर्चा संख्या 2 में यह खुलासा हुआ है कि मृतक अपने पीछे हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट छोड़ गया है। उक्त सुसाइड नोट में आवेदक के देह व्यापार में लिप्त होने के आरोप लगाए गए हैं और मृतक ने विधायक और एक सुभाष के विरुद्ध आरोप लगाए हैं। दूसरे सुसाइड नोट में एक प्रदीप और आवेदक के बीच शारीरिक संबंध होने के आरोप लगाए गए हैं। सुसाइड नोट आवेदक के विरुद्ध शिकायतों से भरे हुए प्रतीत होते हैं, जो हालांकि, न्यायालय की राय में, बी.एन.एस. की धारा 45 के तहत परिभाषित उकसावा नहीं बनाते हैं।
7. ऊपर चर्चा किए गए मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित समझता हूँ।
8. आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- श्रीमती मिथलेश की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोष के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के साथ होगी: -
 - i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगी;
 - ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी;
 - iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगी/धमकाएगी नहीं;
10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन का निर्णय करने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुणों पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026

कुशल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"